फर्दे अहकाम ,

न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

नियमित आपराधिक प्र०स० /2026 दशरथ बनाम मनीष कुमार परिवाद नं-304/2026

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का

01/08/2026

परिवादी दशरथ के अधिवक्ता श्री वी.सी.मीणा उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के परिवाद पत्र, परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य के शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकन से प्रकट है,कि अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचनार्थ परिवादी को निम्न लिखित चैक स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रदत्त किया।

नाम	चेक नं०	देय तिथि	रूपया
SBI BANK शाखा MG ROAD प्रतापगढ़	981527	15/12/2025	₹3,50,000/-

परिवादी द्वारा उक्त चैक का भुगतान प्राप्त करने हेतु दिनांक-26/12/2025 को अपने बैंक ऑफ बडौदा,शाखा प्रतापगढ में उक्त चैक प्रस्तुत किया जो-Exceeds arrangement होने से अनादरित कर रिर्टन मैमों के साथ असल चैक परिवादी को लौटा दिया गया। परिवादी द्वारा अभियुक्त को उक्त सूचना देने पर अभियुक्त ने कुछ समय रूपयो की व्यवस्था हेतु मांगा लेकिन अभियुक्त तत्पश्चात् टालम टूली का जवाब देने लगा।

परिवादी ने उक्त चैक पुनः अपने बैंक ऑफ बडौदा,शाखा प्रतापगढ में पेश किया,जिस पर उक्त चैक दिनांक-10/03/2026 को Exceeds arrang -ement होने से अनादरित कर रिर्टन मैमों के साथ असल चैक परिवादी को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी ने अभियुक्त को विधिवत् पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक-18/03/2026 को प्रेषित किया, जो अभियुक्त को दिनांक-24/03/2026 को प्राप्त हो गया। नोटिस का जवाब अभियुक्त ने परिवादी को नहीं दिया। अभि -युक्त ने उक्त नोटिस में दी गई समयावधि गुजर जाने के बावजूद चैक की राशि का भुगतान नहीं किया। तदुपरान्त नियत समयावधि में चैक की राशि अदा की गई हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। परिवादी ने नियत समयावधि में दिनांक-24/04/2026 को परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, परिवादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी रायपुर, पोस्ट कुलथाना ,तहसील एवं जिला प्रतापगढ(राज.)के विरूद्ध धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार प्रथम दृष्ट्या पाये जाते है।

अतः**अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी रायपुर, पोस्ट कुलथाना ,तहसील एवं जिला प्रतापगढ(राज.)**के विरूद्ध धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर रे.फौ.हो। धारा-227BNSS(204CRPC) की पालना होने पर अभियुक्त को जरिये सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी मुल.दिनांक-29/10/2026 को पेश हो।

(दीप्ति स्वामी)

CJM PRATAPGARH